**भारत सरकार**

**पोत परिवहन मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. **3116** जिसका उत्तर

गुरूवार, 12 **मार्च**, 2020/22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

**सागरमाला कार्यक्रम**

**3116. डॉ. शशि थरूरः**

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागरमाला कार्यक्रम 2015-35 की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या पहल की गई हैं;

(ख) क्या पत्तन आधुनिकीकरण, संपर्क में वृद्धि, पत्तन-संबद्ध औद्योगीकरण और तटीय सामुदायिक विकास के लिए 600 से अधिक परियोजनाओं को शुरू करने की प्रस्तावित योजना समयबद्ध तरीके से पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सागरमाला पहल के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 2016 का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल राज्य में सागरमाला परियोजनाओं की सूची और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं?

**उत्तर**

**पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री मनसुख मांडविया)**

(क), (ख), (ग) और (घ): सागरमाला कार्यक्रम, पोत परिवहन मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, नौचालन संभाव्य 14,500 किलोमीटर के जलमार्गों तथा मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों में सामरिक स्थिति का उपयोग करते हुए देश में पत्तन-आधारित विकास को बढ़ावा देना है। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य विजन न्यूनतम अवसंरचना निवेश के साथ एक्सिम और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना है।

सागरमाला कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में अनुमोदित किया गया था और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष योजना तैयार की गई जिसे दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को जारी किया गया। वर्तमान में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 3.55 लाख करोड़ रू० के अनुमानित अवसंरचना निवेश के साथ 500 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 143 परियोजनाएं (मूल्य-0.88 लाख करोड़ रू०) पूरी की गई हैं और 190

परियोजनाएं (मूल्य-2.12 लाख करोड़ रू०) पहले ही कार्यान्वयन के अधीन हैं। शेष 167 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं और इनका वर्ष 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों / समुद्री बोर्ड और एसपीवी द्वारा प्राथमिकता के साथ निजी क्षेत्र के माध्यम से और जहां भी व्यावहारिक हो सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से किया जा रहा है। सागरमाला के तहत परियोजनाओं का परियोजना विषय-वार सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

**सागरमाला के तहत परियोजनाओं का सार**

| क्र.सं. | परियोजना का विषय | कुल | | पूरी की गई | | कार्यान्वयन के अधीन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | # | परियोजना लागत (करोड़ रु.) | # | परियोजना लागत (करोड़ रु.) | # | परियोजना लागत (करोड़ रु.) |
| 1 | पत्तन आधुनिकीरण | 206 | 78,611 | 81 | 24,113 | 59 | 24,288 |
| 2 | संपर्कता में वृद्धि | 201 | 1,28,786 | 38 | 9,416 | 88 | 91,157 |
| 3 | पत्तन से जुड़े औद्योगिकीकरण | 34 | 1,42,457 | 8 | 45,300 | 23 | 96,046 |
| 4 | तटीय समुदाय विकास | 59 | 5,300 | 16 | 1,403 | 20 | 954 |
| **कुल** | | **500** | **3,55,154** | **143** | **80,233** | **190** | **2,12,445** |

जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अनेक पहलें की हैं जो **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

ङ) केरल राज्य में सागरमाला परियोजनाओं की सूची विवरण सहित **अनुबंध-II** में दी गई है।

**अनुबंध-I**

**जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलें**

क) पोत परिवहन मंत्रालय ने तटीय मार्गों पर विदेशी ध्वज जलयानों को यानांतरण कंटेनरों, खाली कंटेनरों, उर्वरकों और कृषि उत्पादों, मत्स्यन, पशुपालन और बागवानी वस्तुओं को ले जाने के लिए लाइसेंस में छूट देना अधिसूचित किया है।

ख) विशेष जलयानों जैसे रो-रो, हाईब्रिड रो-रो, रो प्योर कार कैरियर्स, प्योर कार व ट्रक कैरियर्स, एलएनजी जलयानों और बड़े आकार के अथवा परियोजना कार्गो को तटीय पोत परिवहन के लिए लाइसेंस में दी जा रही छूट को 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

ग) तटीय बर्थ योजना के अंतर्गत, समुद्र / राष्ट्रीय जलमार्गों के द्वारा कार्गो / यात्रियों के आवागमन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के सृजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना की कुल लागत के 50% तक अथवा अधिकतम वित्त पोषण सीमा तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।

घ) वर्ष 2025 तक तटीय पोत परिवहन के लिए एक परिप्रेक्ष्यता योजना तैयार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक अध्ययन किया गया है, और इस अध्ययन के आधार पर नीति, अवसंरचना और प्रक्रिया मध्यवर्ती कार्यों के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना चलाई जा रही है।

ङ) महापत्तनों द्वारा तटीय जलयानों को जलयान और कार्गो संबंधी प्रभारों पर न्यूनतम 40% की छूट दी जा रही है।

च) देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत, 111 (5 मौजूदा और 106 नए) राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की घोषणा की गई है।

छ) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 (इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली), असम में रा.ज.-2 (धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी), केरल में रा.ज.-3 (उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों के साथ कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर) को फेयरवे नौचालन सहायक सामग्री, कार्गो को लादने और उतारने के लिए यांत्रीकृत उपकरण संभलाई सुविधाओं के साथ जेट्टियों और टर्मिनलों सहित पहले ही विकसित कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालनरत हैं और इनमें जलयानों की आवाजाही हो रही है। इसके अतिरिक्त; रा.ज.-10 (अम्बा नदी), रा.ज.-68 (मांडोवी नदी), रा.ज.-73 (नर्मदा नदी), रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक), रा.ज.-85 (रेवादंडा क्रीक - कुंडालिका नदी प्रणाली), रा.ज.-91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली), रा.ज.-97 (सुंदरबन जलमार्ग), रा.ज.-100 (तापी नदी) तथा रा.ज.-111 (जुआरी नदी) भी प्रचालनरत हैं।

ज) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं और व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणाम तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के आधार पर 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों, को पोत परिवहन और नौचालन के लिए व्यवहार्य पाया गया था, जिन पर विकास गतिविधियां पहले ही चल रही है।

झ) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर नौचालन क्षमता के आवर्धन के लिए पोत परिवहन मंत्रालय / आईडब्ल्यूएआई 5369.18 करोड़ रू० की अनुमानित लागत से जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित कर रहे हैं। जेएमवीपी के अंतर्गत वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण, फरक्का में रो-रो टर्मिनलों, फेयरवे विकास नौचालन लॉक, चैनल मार्किंग प्रणालियां आदि स्थापित की जा रही है।

ञ) आंध्र-प्रदेश में कृष्णा नदी के विजयवाडा-मुक्त्याला जलखंड (रा.ज.-4 का हिस्सा) में फेयरवे विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। चार फ्लोटिंग पोटूंस के निर्माण और इब्राहिमपट्टणम, हरिशचंद्रपुरम, मुक्तयाला और माडीपाडू पर चार (4) स्थायी टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है।

अनुबंध-II

## केरल में सागरमाला परियोजनाओं की सूची

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | चरण | परियोजना लागत (करोड़ों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | सीओपीटी पर सीओटी और एनटीबी तटवर्ती तरल टर्मिनल का नवीनीकरण और क्षमता वृद्धि | परियोजना पूरी हो गई | 20 |
| 2 | बोट ट्रेन पियर जेट्टी के पास क्रूज बर्थिंग सुविधाएं सह क्रूज यात्री सुविधा केंद्र का विकास- कोचीन | परियोजना पूरी हो गई | 28 |
| 3 | स्कैनर का प्रावधान - कोचीन | परियोजना पूरी हो गई | 15 |
| 4 | कोचीन शिपयार्ड में ड्राई डॉक का निर्माण | कार्यान्वयन के तहत | 1799 |
| 5 | अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा -आईएसआरएफ - कोचीन शिपयार्ड | कार्यान्वयन के तहत | 970 |
| 6 | अजिक्कल पत्तन पर तटीय बर्थ का निर्माण– ड्रेजिंग तथा ब्रेक-वॉटर का निर्माण | डीपीआर तैयार करना | 496 |
| 7 | कोल्लम में बहुउद्देशीय तटीय बर्थ का निर्माण | कार्यान्वयन के तहत | 19 |
| 8 | एर्नाकुलम वार्फ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल | कार्यान्वयन के तहत | 25.72 |
| 9 | मट्टनचेरी वार्फ पर क्यू 1 बर्थ का पुनर्निर्माण | परियोजना पूरी हो गई | 5.02 |
| 10 | दक्षिण टैंकर बर्थ का नवीनीकरण | परियोजना पूरी हो गई | 29.22 |
| 11 | वाहन प्रवेश-निकास के लिए गेट एक्सेस प्रणाली आधारित आरएफआईडी की स्थापना - कमीशनिंग और रखरखाव- कोचीन | परियोजना पूरी हो गई | 1 |
| 12 | क्रायोजेनिक वेयरहाउसिंग - कोचीन | टेंडरिंग के तहत | 150 |
| 13 | पुथुवाइपीन में बहु उपयोगकर्ता लिक्विड टर्मिनल - कोचीन पोर्ट | परियोजना पूरी हो गई | 240 |
| 14 | कक्कानाड गांव- कनयन्नूर तालुका - एर्नाकुलम जिला- केरल में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर | कार्यान्वयन के तहत | 140.01 |
| 15 | आलाप्पुझा जिले में चेरथला के पास पल्लिप्पुरम में केएसआईडीसी मेगा फूड पार्क | कार्यान्वयन के तहत | 600 |
| 16 | कोल्लम पत्तन से एनएच को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करना | डीपीआर तैयार करना | 50 |
| 17 | बेयपोर पत्तन तक रिवर साइड पोर्ट रोड का विकास | डीपीआर तैयार करना | 50 |
| 18 | वल्लारपाडम में आरओबी का निर्माण - कोचीन | परियोजना पूरी हो गई | 36 |
| 19 | अजिक्कल पत्तन - प्रस्तावित एनएच - बाईपास और 2 किमी का चौड़ीकरण | डीपीआर तैयार करना | 61 |
| 20 | समुद्र तट से होते हुए मालापरम्ब तक बेपोर पत्तन संपर्कता | डीपीआर तैयार करना | 400 |
| 21 | रा.ज.-3 में थ्रिकुन्नपुझा में नेविगेशनल लॉक का पुनर्निर्माण | कार्यान्वयन के तहत | 38 |
| 22 | पाइकुलंगारा से अलाप्पुझा बाइपास तक की सड़क | डीपीआर तैयार करना | 324.7 |

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | चरण | परियोजना लागत (करोड़ों में) |
|---|---|---|---|
| 23 | एसएच-अलप्पुझा बाईपास इंटरसेक्शन से सड़क | डीपीआर तैयार करना | 228.11 |
| 24 | फोर्ट वाइपिन से मत्स्यफ़ेड टूरिस्ट ऑफिस तक की सड़क | डीपीआर तैयार करना | 133.38 |
| 25 | मूधियम तट से मधुरा बाजार तक की सड़क | डीपीआर तैयार करना | 261.42 |
| 26 | मधुरा बाज़ार से चुल्लिकड़ तक की सड़क | डीपीआर तैयार करना | 161.49 |
| 27 | पय्यम्बलम से अज़िक्कल तक की सड़क | डीपीआर तैयार करना | 173.63 |
| 28 | अजिकल से को पुथुवालाप्पू तक की सड़क | डीपीआर तैयार करना | 132.39 |
| 29 | आलाप्पुझा-कोट्टायम-अथरिम्पुझा नहर -एनडब्ल्यू -9 | कार्यान्वयन के तहत | 1.6 |
| 30 | चेंगानुर - चिंगवनम | परियोजना पूरी हो गई | 436 |
| 31 | कुरूपंथरा-चिंगावनम | कार्यान्वयन के तहत | 457 |
| 32 | अम्बालप्पुज़्हा-हरीपाड | कार्यान्वयन के तहत | 289 |
| 33 | एर्नाकुलम-कुंबलम पैच दोहरीकरण | कार्यान्वयन के तहत | 189 |
| 34 | कुंबलम-थुरवुर पैच दोहरीकरण | कार्यान्वयन के तहत | 253 |
| 35 | अज़िक्कल पत्तन तक रेल संपर्कता | प्रस्ताव प्रस्तुत करें | 600 |
| 36 | कोच्चि- कुटनाड- बेंगलुरु – मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना (केकेबीएमपीएल) | कार्यान्वयन के तहत | 3263 |
| 37 | केरल के कन्नूर जिले के थलई में फिशिंग हार्बर का निर्माण | परियोजना पूरी हो गई | 35 |
| 38 | तटीय जिले कौशल विकास कार्यक्रम - चरण 2-केरल | कार्यान्वयन के तहत | 6 |
| 39 | केरल में त्रिशूर जिले में मिनी फिशिंग हार्बर चेट्टुवा का निर्माण | परियोजना पूरी हो गई | 30 |

*****